प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 19.11.2025

साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल 1,82,198/-रुपये की धनराशि वापस कराई गई।

दिनांक 10.06.2025 को साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री नागेश कुमार निवासी- मकान नंबर डी-90-बी, सैकेण्ड फ्लोर श्याम पार्क एक्सटेंशन थाना साहिबाबाद गाजियाबाद के साथ ऑनलाइन इण्टरनेट साइबर फ्रॉड के माध्यम से कुल 1,82,198/- रुपये की धनराशि ट्रांसफर करने के सम्बन्ध में एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम शिकायत प्राप्त हुई थी।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से दिनांक 10.06.2025 को श्रीकुलदीप सिंह पुत्र श्री नागेश कुमार निवासी मकान नंबर डी-90-बी सैकेण्ड फ्लोर श्याम पार्क एक्सटेंशन थाना साहिबाबाद गाजियाबाद के साथ ऑनलाइन इण्टरनेट साइबर फ्रॉड के माध्यम से कुल 1,82,198/-रुपये की धनराशि ट्रांसफर करने के सम्बन्ध में एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को बैंकों से पत्राचार कर होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 18.11.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की कुल 1,82,198/-रुपये की धनराशि वापस कराई गई।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से बिना अनुमति के बज रहा 01 डीजे मय वाहन को जब्त कर सीज किया गया।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 19.11.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त मुरली पुत्र मियाजी लाल निवासी चर्च वाली गली हर्ष विहार थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष को

तुलसी निकेतन सर्विस रोड़ **LIG** फ्लैट के पास से में बिना अनुमति के एवं निषेध आज्ञा का उल्लंघन कर बजा रहे 01 डीजे सिस्टम को जब्त कर सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 292 बीएनएस व 5/6 ध्वनि प्रदूषण के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त मुरली उपरोक्त से पूछने पर यह तथ्य सामने आये कि अभियुक्त उपरोक्त शादियों की बुकिंग के हिसाब से डीजे की सुविधायें उपलब्ध कराता है तथा ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए बिना परमीशन डीजे बजाता है। इसी क्रम में आज भी तुलसी निकेतन सर्विस रोड़ पर डीजे बजा रहा था कि पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुरली पुत्र मियाजी लाल निवासी चर्च वाली गली हर्ष विहार थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त मुरली पुत्र मियाजी लाल उपरोक्त के विरूद्ध थाना टीलामोड़ पर ध्वनि प्रदूषण का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:–

01 डीजे मय वाहन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।